**संख्या-01/2017/1402/क0नि0प्र0/26-3-2016-16(39)/2016**

प्रेषक,

**नीरजा कुरील,**
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

**निदेशक,**
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

**कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ,** **लखनऊः दिनांकः 02 जनवरी,2017**
**समाज कल्याण विभाग**

**विषयः-** **वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-83 से अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजना हेतु धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-सी-128/स.क./ विकास/ सब प्लान/2016-17 दिनांक 28 अप्रैल,2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-83 से अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजना में जनपद सन्तकबीर नगर के विकास खण्ड-मेंहदावल के ग्राम टिकरी, मंझरिया, बाराखाल एवं रक्शा में पिच रोड,सी.सी.रोड, इण्टर लाकिंग एवं सामुदायिक केन्द्र के निर्माण कार्यो की कुल लागत रू0 1282.98 लाख (रू0 बारह करोड़ बयासी लाख अठानबे हजार मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा परियोजना लागत के सापेक्ष धनराशि रू0 4,65,68,000.00 (रू0 चार करोड़ पैंसठ लाख अड़सठ हजार मात्र) निम्नलिखित विवरणानुसार स्वीकृत कर व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

**(धनराशि लाख रूपये में)**

| जनपद का नाम | विकास खण्ड का नाम | ग्राम का नाम | कार्य का विवरण | प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति | वर्ष 2016-17 में आवंटित धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| सन्त कबीर नगर | मेंहदावल | टिकरी | पिच रोड निर्माण<br>सी0सी0रोड<br>इण्टरलाकिंग/नाली<br>निर्माण<br>सामुदायिक केन्द्र | 98.87<br>99.22<br>99.16<br>24.00 | 35.90<br>36.00<br>36.00<br>8.70 |
| | | | योग | 321.25 | 116.60 |
| | | मंझरिया | पिच रोड निर्माण<br>सी0सी0रोड<br>इण्टरलाकिंग/नाली<br>निर्माण<br>सामुदायिक केन्द्र | 98.80<br>99.00<br>98.96<br>24.00 | 35.86<br>35.94<br>35.92<br>8.70 |
| | | | योग- | 320.76 | 116.42 |
| | | बाराखाल | पिच रोड निर्माण<br>सी0सी0रोड<br>इण्टरलाकिंग/नाली<br>निर्माण<br>सामुदायिक केन्द्र | 98.45<br>98.95<br>99.15<br>24.00 | 35.74<br>35.92<br>36.00<br>8.70 |
| | | | योग- | 320.55 | 116.36 |
| | | रक्शा | पिच रोड निर्माण<br>सी0सी0रोड<br>इण्टरलाकिंग/नाली<br>निर्माण<br>सामुदायिक केन्द्र | 99.00<br>98.28<br>99.15<br>24.00 | 35.94<br>35.66<br>36.00<br>8.70 |
| | | | योग- | 320.43 | 116.30 |
| | | | कुल योग- | 1282.98 | 465.68 |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) सन्तकबीर नगर को योजना के क्रियान्वयन हेतु तभी आवंटित की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही परियोजनाओं के संबंध में एस.सी.एस.पी. हेतु निर्धारित दिशानिर्देश एवं प्रश्नगत योजना की गाइड लाइन के अनुसार समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करा ली जायेगी। तत्पश्चात ही धनराशि निर्माण इकाई को उपलब्ध करायी जायेगी।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग योजना हेतु निर्धारित दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-664/क0नि0प्र0/26-3-2014-13(62)/2013 दिनांक 24 सितम्बर, 2014 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों पर किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता होगी, जिसके लिए सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी/सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होगें।

5- प्रश्नगत स्वीकृत परियोजनाओं की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

6- संबंधित जिलाधिकारी/संबंधित अधिकारी द्वारा उक्त कार्य के संबंध में यह पुष्टि की जायेगी कि यह कार्य पूर्व में अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही पूर्व में किया गया है तथा वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

7- जिलाधिकारी सन्तकबीर नगर द्वारा उपलब्ध कराये गये आंगणन के आधार पर कार्यदायी संस्था उ0प्र0राज्य निमार्ण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0 लखनऊ (सी0एल0डी0एफ0) पूर्व नाम उ0प्र0 श्रम निर्माण सहकारी संघ,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

लि0,लखनऊ से कार्य कराया जायेगा, जिसे पी0डब्ल्यू0 डी0 शासनादेश के प्राविधानानुसार व्यय देय होगा।

8- स्वीकृत की जा रहे परियोजनाओं के कार्य स्वीकृत परियोजना लागत के अन्तर्गत ही पूर्ण कराये जायेगें और भविष्य में इनका पुनरीक्षण स्वीकार नही होगा।

9- स्वीकृत की जा रही परियोजना की लागत में सम्मिलित 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि को नियमानुसार श्रम विभाग में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

10- स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय की सूचना नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। शासन को भेजे जाने वाले उपयोगिता प्रमाण-पत्र में कार्य के प्रगति/पूर्ण होने के फोटोग्राफ्स इत्यादि जनपद के लोक निर्माण विभाग के जनपदीय वरिष्ठ अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर सदुपयोग प्रमाण-पत्र देना सुनिश्चित किया जायेगा तदोपरान्त ही अगली किश्त स्वीकृत किये जाने पर विचार किया जायेगा।

11- प्रश्नगत स्वीकृत कार्यो हेतु स्वीकृत धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र संबंधित से प्राप्त होने पर एवं इन कराये गये कार्यो के भौतिक सत्यापन हेतु गठित तीन सदस्यीय समिति से वांछित जांच आख्या प्राप्त होने पर अगली किश्त जारी किये जाने पर विचार किया जायेगा।

12- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-''4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0106-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास (के.100/रा.0-के.)-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

13- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1/ 746/ दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च,2016 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किये जा रहे है।

भवदीया,

**(नीरजा कुरील )**
उप सचिव

**पृ.संख्या- 01/2017/1402(1)/क0नि0प्र0/26-3-2016 तददिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- जिलाधिकारी, सन्तकबीर नगर।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, सन्तकबीर नगर।
4- वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), सन्तकबीर नगर।
6- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, सन्तकबीर नगर।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0राज्य निमार्ण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0 (सी0एल0डी0एफ0) लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ।
9- गार्डफाइल ।

आज्ञा से,

**(नीरजा कुरील)**
उप सचिव

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in